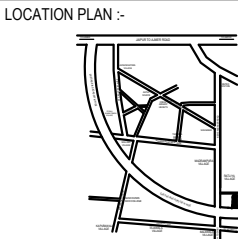
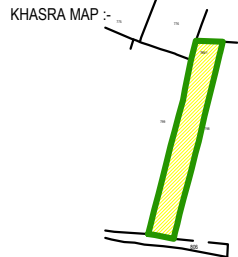


PROPOSED LAYOUT PLAN OF
" SHREE KRISHNA AVENUE "

AT VILLAGE :- RATLYA , TEH.- SANGANER, JAIPUR.



J.D.A.



मानदर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
1. कुल आवासीय भूखण्ड = 19
2. कुल भूखण्ड = INFORMAL COMM-01
3. वाणिज्य क्षेत्र भूखण्ड

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	2027.60	40.55 %
2.	INFORMAL	99.58	01.99 %
4.	SWM	50.12	01.00 %
5.	MT	10.00	00.20 %
6.	PU	10.00	00.20 %
7.	PARK	250.25	05.00 %
8.	HT LINE	154.84	03.10 %
9.	ZDP RD 18 M	1584.54	31.69 %
10.	ROAD	813.07	16.27 %
SCHEME AREA		5000.00	100.00 %

SCHEME NAME :-
" SHREE KRISHNA AVENUE "

AT VILLAGE :- RATLYA , TEH.- SANGANER, JAIPUR.

ZONE NO. :- 14

SCALE :- 1:500

CONSULTANT :-

301, Preet Tower Opp. Police Headquarter,
Lal Bahadur Shastri Road, Jaipur-302015
Ph: 0141-4113111, Mob: +91-9829045031
Website: www.cadmaxprojects.com, info@cadmaxprojects.com

डिव्याजीत मारोथिया
DIVYAJEET MAROTHIYA
B.TECH (CIVIL)

DRAWING TITLE - EXTERNAL WATER SUPPLY LINE WITH VALVE CHAMBER & U.G. WATER TANK	
	VALVE CHAMBER
	AUTO AIR RELEASE VALVE
	WATER SUPPLY ROUTE PIPE 110 MM DIA

नोट:-

- राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा चर्क रातल्या तह सांगानेर के खसरा नम्बर 798/1 रकबा 0.50 हैक्ट. भूमि की 90ए आदेश संख्या स2012अक्षक/2023 248103015 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा पूर्ण की गयी है।
- योजना की भूमि मे राभूरा अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एब मौके पर प्रमाणिकरण पटवारी एब तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मानदर प्लान शाखा अनुसार मानदर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मानदर विकास योजना 2025 व जोनल खलपमेन्ट प्लान प्लानिंग जोन-09 के अनुसार आवासीय दर्शित है। अवैधित भूमि जोनल प्लान की प्रस्तावित 18 मीटर सड़क से प्रभावित है।
- योजना श्री कृष्णा एवेन्यू का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 381वी बैठक दिनांक 15.01.2025 में किया गया है।
- योजना मे कूटकर व्यावसायिक के प्राक्खान नवविष के आदेश दिनांक 20.02.2023 एब बी पी सी (एल पी) द्वारा जारी यूओनोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होगे।
- योजना मे ई डब्ल्यूएस/एलआईजी के समतुल्य राशि ली गयी है।
- योजना मानचित्र टॉलनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जलिया विनियम 2020 के अनुसार देय होगे।
- राजस्थान टॉलनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 12.50 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है। योजना मे आन्तरिक विकास कार्यो की एकज मे 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल 265.90 वर्गमी के लिए भूसं 15,16,17 कुल भूखण्ड 3 कुल क्षेत्रफल 269.57 वर्गमीटर रक्षन रखा गया है।
- राजस्व शाखा द्वारा मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज किया गया।

प्रकल्पित
खण्ड-14ख

उपखण्ड
खण्ड-14ख

उपखण्ड
खण्ड-14ख

उपखण्ड
खण्ड-14ख

उपखण्ड
खण्ड-14ख

उपखण्ड
खण्ड-14ख